# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
## पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 53/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/103

**प्रार्थी:–** अशोक कुमार पुत्र देवाराम जाति कलाल, निवासी खैरवा, तहसील पाली जिला पाली

**बनाम**

**अप्रार्थीगण :–**

1. रामचन्द्र पुत्र देवाराम, जाति कलाल निवासी खैरवा तहसील पाली जिला पाली
2. सम्पतलाल पुत्र देवाराम जाति कलाल निवासी खैरवा, तहसील पाली जिला पाली
3. अणची देवी पत्नी देवाराम जाति कलाल निवासी खैरवा तहसील पाली जिला पाली
4. पुष्पा पुत्री देवाराम जाति कलाल निवासी खैरवा तहसील पाली जिला पाली
5. सुरज देवी पुत्री देवाराम, जाति कलाल निवासी खैरवा तहसील पाली जिला पाली
6. ग्राम पंचायत खैरवा जरिये सरपंच

**"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"**

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र नारायण औझा।

**–: निर्णय :–**

दिनांक : 30/01/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत खैरवा द्वारा मिसल संख्या 10/2013–14, प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 20.01.2014 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 4761 दिनांक 01.02.2014 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिल असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 5 देवारामजी के वारिशान है तथा ग्राम खैरवा में देवारामजी के पूर्वजों का कब्जासुदा, पट्टासुदा भूखण्ड आया हुआ है। उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 5 का कब्जा है। यह भूमि पैतृक सम्पति होते हुये अप्रार्थी संख्या 2 सम्पतलाल ने पंचायत से मिलीभगत कर अकेले अपने नाम से जैर निगरानी पट्टा जारी करवा लिया। ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय न तो मिसल कायम की, न ही पंचायतीराज में विहित

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

नियमों की पालना की। ग्राम पंचायत ने विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जिसे खारिज फरमावे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत खैरवा द्वारा मिसल संख्या 10/2013–14, प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 20.01.2014 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 4761 दिनांक 01.02.2014 के विरूद्ध पेश की है। राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्व व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्ही भी कार्यवाहियो के सम्बन्ध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उप समिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में ऐसी कार्यवाहियो की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और यदि किसी भी मामले में, यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए तो वह तदनुसार आदेश पारित कर सकेगी।

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में पट्टा जारी करने की प्रक्रिया विहित है। जिसके अनुसार नियम 145 के तहत पंचायत से कोई भी आबादी भूमि/छूटा हुआ भूखण्ड या भूमि की कोई पट्टी खरीदने का इच्छुक कोई व्यक्ति पंचायत को लिखित आवेदन, उसमें उसका ऐसा विवरण देते हुए प्रस्तुत करने के प्रावधान है, जो क्रय के लिये प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिये पर्याप्त हो तथा आवेदन के साथ स्थल निरीक्षण के व्ययों के पेटे पच्चीस रूपये की राशि जमा करानी होगी तथा आवेदन के साथ स्थल का नक्शा संलग्न नही किया गया हो तो आवेदक नक्शा तैयार करने के लिये भी पच्चीस रूपये जमा करायेगा। इसके पश्चात नियम 146 के तहत मिसल कायम करने तथा मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों की कमेटी मनोनीत करने तथा कमेटी द्वारा 15 दिवस के भीतर मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रावधान है। नियम 147 के तहत अनंतिम विनिश्चिय करने एवं नियम 148 के तहत एक माह की अवधि के भीतर आपत्ति आमन्त्रित करने को नोटिस जारी कर प्रकाशित करने के प्रावधान है। नियम 148 के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त आक्षेप के निस्तारण के प्रावधान नियम 149 के तहत प्रदत्त है। नियम 150 के तहत भूमि को नीलाम करने की प्रक्रिया विहित है। नियम 151 में नीलामी समिति प्रावधित है। नियम 152 में बाजार कीमत सम्बन्धी तथा नियम 153 में संदाय एवं पुनर्विक्रय करने के प्रावधान उल्लेखित है तथा नियम 154 के तहत विक्रय की पुष्टि करने के प्रावधान है। नियम 155 के तहत कब्जा सुपुर्द करने के प्रावधान है। नियम 156 के तहत प्राईवेट बातचीत द्वारा आबादी भूमि का अन्तरण करने के प्रावधान हे। नियम 157 के तहत पुराने गृहों का विनियमितीकरण के प्रावधान है, जिसमें 50 वर्ष से अधिकार पूर्व के निर्मित मकानों हेतु 100/– रूपये एवं इन नियमों के लागू होने की तिथित को 50 वर्षो के दौरान बने पुरने मकानो हेतु 200/– रूपये जमा कराने के पश्चात पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा। नियम 158 के तहत भूमियों का कमजोर वर्गो को आवंटन के प्रावधान है। नियम 159 के तहत भूमियों का रियायती कीमत पर आवंटन तथा नियम 160 के तहत अनुमोन के अध्यधीन अन्तरण और आवंटन के प्रावधान उल्लेखित है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 (1) के तहत जारी किया गया हैं। हस्तगत प्रकरण में पट्टे जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया हैं। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, उक्त आवेदन कब प्रस्तुत किया गया, के सम्बन्ध में किसी भी दिनांक का अंकन नहीं है। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आदेशिका दिनांक 20.09.2013, जो कि प्रथम आदेशिका थी, उसमें सचिव को पत्रावली कायम कर नक्शा तैयार करने के आदेश जारी किये गये, किन्तु स्थल निरीक्षण के व्यय पेटे 25/– रूपये कब व किस रसीद क्रमांक के द्वारा जमा करवाये गये, अंकन नहीं है। सम्पूर्ण मिसल कम्प्यूटर टाईप है जिसमें केवल आवेदक से सम्बन्धित जानकारी अंकित करने का स्थान रिक्त छोड़ा हुआ है। आदेशिका दिनांक 20.09.2013 के द्वारा तीन पंचों को मौका निरीक्षण किये जाने के आदेश जारी किये गये, किन्तु किन तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जायेगा, उन्हे नामित नहीं किया गया। नियम 146 के तहत पत्रावली कायम की जाकर तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 146(3) "क से ड" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु प्रकरण में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वे समर्थन योग्य नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में गवाहों के बयान निर्धारित प्रारूप में कम्प्यूटर टाईप है, जिसमें जैर आराजी पर अप्रार्थी के कब्जे के सम्बन्ध में स्पष्ट जानकारी अंकित नहीं है, साथ ही बयान कब लिये गये, के सम्बन्ध में किसी भी दिनांक का अंकन नहीं है। पंचों द्वारा जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें भी मूलभूत तथ्यों का अभाव हैं। प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, उस पर न तो पंचायत की मोहर है और आपत्ति इश्तिहार के सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में जिन गवाहों के हस्ताक्षर अंकित है उनकी भी वल्दियती अंकित नहीं है। अप्रार्थी ने अपने आवेदन प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया कि भूमि प्राप्त करने का अभिप्राय मकान बनाना है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जैर आराजी केवल एक भूखण्ड था। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 2017 (2) DNJ (Raj) 730 Mangilal Meghwal vs state में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा, 157 के तहत पट्टा देने के लिए मौके पर पुराना मकान होना आवश्यक है।" इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टे जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 157 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि विरूद्ध होने के कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत खैरवा द्वारा मिसल संख्या 10/2013–14, प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 20.01.2014 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 4761 दिनांक 01.02.2014 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, ग्राम पंचायत खैरवा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 30/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)